19.11.24 पत्रावली पेश हुई

प्रार्थी वकील उप.।

मौका रिपोर्ट अप्राप्त अतः रिमाइन्डर भेजे

पत्रावली तारीख 17.12.24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

17.12.24

वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन
अधिकारी निरन्तर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट पेश हो
दिनांक 26.12.24 को पेश होवे

26.12.2024 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।

तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन एवं अद्यतन में पाया गया कि वादी दुर्गाराम ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि ख.नं. 34/5 खातेदार सताराम पुत्र गंगाराम को बेचान कर दी है तथा यहां पर निवास नहीं करता है। मौके पर ख.नं. 34/5 व 34/19 की भौतिक स्थिति व राजस्व रेकर्ड नक्शा इत्यादि में कोई भिन्नता नहीं है। मौके पर रेकर्डेड खातेदार ही काबिज है। इस प्रकार इस प्रकरण में किसी प्रकार की राजस्व रेकर्ड में शुद्वि की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट एवं आवेदन के तथ्यों का परस्पर अवलोकन में प्रार्थी का आवेदन बिना किसी विधिक कार्यवाही को जारी रखते हुए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:09:52 IST
Reason: SelfAttested